(185)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1100–दो/2011 – विरूद्व आदेश दिनांक 03–06–2011 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 155/2010–11 अपील

प्राचार्य , ऋषिश्वर महाविद्यालय फूफ
तहसील व जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदक

(आवेदक की ओर से श्री एए0के0अवस्थी अभिभाषक)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)

आ दे श

(आज दिनांक 18 – 11 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 115/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 3–6–2011 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पटवारी हलका फूफ ने नायव तहसीलदार वृत्त फूफ तहसील भिण्ड को सूचना प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम फूफ की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 510 रकबा 0.209 नोईयत तालाब पर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पक्का निर्माण करके आवेदक व्दारा अतिक्रमण किया जा रहा है। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 221/2009–10 अ–68 पंजीबद्व किया तथा आवेदक को कारण बताओ सूचना जारी की । नायव तहसीलदार ने आवेदक की सुनवाई कर

आदेश दिनांक 13–12–2010 पारित किया तथा आवेदक को वादग्रस्त भूमि का आवेदक का वर्ष 1971 से अतिकामक पाकर रूपये 20 प्रतिदिन के हिसाव से 19–1–2011 तक रू0 2,83,280/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 37/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–3–11 से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 13–12–2010 निरस्त किया गया तथा निर्णय लिया कि अतिकमणम को नोटिस जारी किया जाय कि वादग्रस्त भूमि की नोईयत ताल होने से निर्माण कार्य हटाया जावे। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील कमांक 115/2010–11 प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने पक्षकार को श्रवण कर आदेश दिनांक 3–6–11 पारित किया एंव अपील निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत् रखा। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक लोक शिक्षा प्रसार समिति रजिस्टर्ड संस्था है वादग्रस्त भूमि का उपयोग संस्था व्दारा खेल के मैदान के रूप में एंव महाविद्यालय भवन संचालन के रूप में किया जा रहा है । संस्था वर्ष 1971 से चल रही है । आयुक्त चम्बल संभाग संभाग व्दारा कलेक्टर भिण्ड को वादग्रस्त भूमि दिये जाने के लिये संस्था से रू. 2,81,238/–रू. प्रीमियम तथा भूभाटक 5624 रू. 76 पैसे का प्रमाणीकरण मांगा था। संस्था का ग्रामीण बैंक भिण्ड में खाता कमांक सी.डी. क–5 में वेलेन्स 2,81,238/–रू. जमा है और यह राशि वह शासन हित में देने तैयार है जिसके कारण संस्था अतिकामक नहीं है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जॉय। शासन के पैनल लायर ने बताया कि भूमि मूल रूप में तालाब मद की है जो किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्था को आवंटित नहीं की जा सकती, क्योंकि तालाब भूमि सार्वजनिक प्रयोग की होती है। आवेदक सार्वजनिक भूमि के अतिकामक है । पटवारी रिपोर्ट सही है। इसलिये अनुविभागीय अधिकारी व्दारा लिया गया निर्णय सही है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम फूफ की वादग्रस्त भूमि शासकीय है एंव भूमि का सर्वे कमांक 510 रकबा 0.209 है जिसकी नोईयत तालाब है। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आदेश दिनांक 11–3–2011 के पृष्ठ 5 एंव 6 पर में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में लिये गये निष्कर्ष के अवलोकन पर यह सही है कि जब वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक हित की होकर तालाब नोईयत की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी व्दारा निकाले गये निष्कर्ष को अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 115/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 3–6–2011 में हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11–3–2011 अंतिम पद का निष्कर्ष इस प्रकार है :–

" अतिकामक को नोटिस जारी किया जावे। वादग्रस्त भूमि की नोईयत ताल होने से निर्माण कार्य हटाया जावे। अतिकमण न हटाने पर अतिकामक के खिलाफ सिविल जेल की कार्यवाही की जावे। "

अर्थात आवेदक को नोटिस प्राप्ति उपरांत पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया है , जिन आधारों पर आवेदक विचाराधीन निगरानी में सहायता प्राप्त करना चाहता हैं उसे पक्ष रखने का अवसर अनुविभागीय अधिकारी ने दिया है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार की सहायता दिये जाने का औचित्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 115/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 3–6–2011 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर